कार्यालय– स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी
समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन परियोजना
परती भूमि विकास विभाग
एल्डिको कारपोरेट टॉवर, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
दूरभाष– 0522–4005337, 4113437 ई–मेल sldcldwrlu-up@nic.in

पत्रांक /एस.एल.डी.सी./प्रशि0/2015–16 दिनांक– 31-7-15

वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) के अन्तर्गत सम्पादित एवं प्रस्तावित कार्यों की विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 24.07.2015 को सम्पादित समीक्षा की कार्यवृत्त।

1. प्रमुख सचिव, सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी/विशेष सचिव, सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग एवं एस.एल.एन.ए. के अन्य अधिकारियों के साथ आई.डब्ल्यू. एम.पी. के कार्यों की प्रगति समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न हुई जिसमें समस्त आई.डब्ल्यू.एम.पी. जनपदों (कतिपय जनपदों को छोड़कर) के मुख्य विकास अधिकारी, उप निदेशक तथा भूमि संरक्षण अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।
2. जनपद– चित्रकूट एवं बॉदा के अधिकारियों से आप्टिकल फाइबर में खराबी के कारण कॉन्फ्रेंसिंग नही हो सकी। जनपद– ललितपुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर (भदोही), ईटावा तथा कुशीनगर से कोई भी अधिकारी कॉन्फ्रेंसिग हेतु उपलब्ध नही थे।
3. प्रमुख सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा मनरेगा के साथ वनीकरण के सम्बन्ध में सुमेलीकरण की जनपदवार की गयी समीक्षा के उपरान्त जनपदीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्य/प्रगति का विवरण संलग्नक–1 में प्रदर्शित है।

विडियो कॉन्फ्रेंसिग के दौरान अधिकारियों द्वारा किये गये अनुरोध तथा तत्सापेक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रमुख सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देश निम्नवत् है–

- **मिर्जापुर** – प्रभागी वनाधिकारी, मिर्जापुर ने अवगत कराया कि आई.डब्ल्यू.एम.पी. की एक परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पी.आई.ए. (रानीपुर वन्य जीव विहार) वन विभाग, मिर्जापुर है, 12 ग्राम पंचायतों में योजना क्रियान्वित है विभाग में कर्मचारियों की कमी के कारण कार्य प्रारम्भ नही हो पा रहा है इनके द्वारा रिक्त पद पर विभागीय कर्मचारियों की तैनाती कराने का अनुरोध किया गया था जिसके क्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय द्वारा प्रमुख सचिव, वन विभाग एवं मुख्य वन संरक्षक से अनुरोध पत्र भेजने का आश्वासन दिया।
- **मऊ** – जनपद द्वारा कार्ययोजना प्रस्तुत नही किये जाने के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी से सख्त कार्यवाई करने की अपेक्षा की गयी है।
- **रायबरेली** – मुख्य विकास अधिकारी ने अवगत कराया कि भूमि संरक्षण अधिकारी को डोंगल निर्गत नही है।
- **जे.पी. नगर** – मुख्य विकास अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि इस जनपद के भूमि संरक्षण अधिकारी का प्रभार मेरठ के उप निदेशक के पास है जो कभी भी सम्पर्क नही करते है।
- **आगरा** – उप निदेशक आगरा द्वारा जानकारी चाही गयी कि आई.डब्ल्यू.एम.पी. के लाभग्राही वर्ग मनरेगा के लाभग्राही वर्गों से पूर्ण रूपेण मेल नही खाते है। जिससे कार्ययोजना तैयार कराने में असुविधा हो रही है। अपर आयुक्त मनरेगा ने स्पष्ट किया कि मनरेगा के अन्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्य मनरेगा की गाइडलाइन के अनुरूप ही कराये जायेगें। इन्होने यह भी स्पष्ट किया कि प्राइवेट तथा सामुदायिक जमीन पर वनीकरण का प्रस्ताव अलग–अलग मनरेगा के फॉरमेट पर प्रस्तुत किया जाये।

- **इटावा** – भूमि संरक्षण अधिकारी (जो मैनपुरी में थे) ने बताया कि वन विभाग की जमीन होने के कारण सहमत न मिलने से प्रस्ताव प्रस्तुत नही हो सका है।
- **कन्नौज** – मुख्य विकास अधिकारी ने अवगत कराया कि भूमि संरक्षण अधिकारी तैनात नही है जिस कारण
- मनरेगा सुमेलीकरण (वनीकरण) कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि वन विभाग द्वारा वनीकरण हेतु उपलब्ध कराये जा रहें पौधें 1 से 2 फीट तक के है जिनका सरवाइवल प्रतिशत निश्चित रूप से कम होगा।
- **सहारनपुर** – मुख्य विकास अधिकारी ने वन विभाग से पौध न मिलने के सम्बन्ध में सुझाव दिया कि प्राइवेट नर्सरी से क्रय हेतु शासनादेश में निर्धारित कमेटी के माध्यम से क्रय किया जा सकता है जिस पर अनुमोदन की अपेक्षा की गयी है।

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों से अपेक्षा की कि मनरेगा कन्वर्जेन्स (वनीकरण) की कार्ययोजना मनरेगा के गाइड लाइन एवं निर्धारित फॉरमेट पर तैयार किया जाना है जिन जनपदों के प्रस्तुत प्रस्ताव में आपत्तियॉ दर्ज की गयी है उन्हे 03 दिन के अन्दर मनरेगा गाइड लाइन के अनुसार तैयार कराते हुए प्रस्तुत की जाय तथा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कार्ययोजना एक सप्ताह के अन्दर स्वीकृत कराते हुए एस.एल.डी. सी. में भी एक प्रति ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जाय।
- अपर आयुक्त मनरेगा ने अवगत कराया कि राष्ट्रीय कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत चिन्हित जनपदों के 116 ब्लाक एक संयुक्त सर्वे के आधर पर आई0डब्लू0एम0पी0 एवं मनरेगा के साथ संयुक्त कार्य योजना तैयार की जानी है जिसका एम0आई0एस0 फीडिंग भी मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय से कराया जाना है। अतः विशेष रूचि लेकर इस कार्य को पूर्ण कराने की अपेक्षा समस्त मुख्य विकास अधिकारियों से की गई है।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस0एल0एन0ए0 द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारियों से आई0डब्लू0एम0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देने की अपेक्षा की गई तथा इस सन्दर्भ में डब्ल्यू.सी. डी.सी. के अध्यक्ष से विशेष ध्यान देने का अनुरोध करने को कहा गया।
    - डब्लू0सी0डी0सी0 की नियमित बैठक सुनिश्चित कराई जाए।
    - प्रत्येक माह में एक तिथि निर्धारित करते हुये मासिक रूप से समीक्षा की जाये। बैठक/निर्देशों की कार्यवृत्ति जारी की जाये।
    - जनपदों में सेवा प्रदाता के माध्यम से नियोजित किये गये कर्मियों के मानदेय का भुगतान यथाशीघ्र सुनिश्चित करायें जाय। मानेदय भुगतान में ऐसा कोई प्रतिबन्ध लगाना उचित न होगा जिसकी अपेक्षा पूर्व में नही की गई है।
    - डब्लू0सी0डी0सी0 स्तर से परियोजना अन्तर्गत पी0आई0ए0 तथा डब्लू0सी0 में धनराशि तत्काल अवमुक्त किया जाये।
    - जी0पी0एस0 इनबिल्ड कैमरे का क्रय तत्काल सुनिश्चित किया जाय।
    - उप निदेशक तथा भूमि संरक्षण अधिकारी आनलाइन एम0आई0एस0 का फार्मेट मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि आनलाइन समीक्षा जनपद स्तर पर सुनिश्चित हो सके।
    - उप निदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति यदि समय से पूर्ण नहीं करते हैं तो उन्हें चेतावनी जारी करते हुये वेतन रोकने की कार्यवाई की जायेगी।
    - मुख्य विकास अधिकारी उन्नाव से अपेक्षा की गई थी कि कुंद्रा समुद्र ताल आई0डब्लू0एम0पी0–4 **"बड़ा बुजुर्ग"** माइक्रोवाटरशेड के अन्तर्गत अच्छादित है इसमें कन्वर्जेन्स के माध्यम से माडल के रूप में विकसित किये जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करायें।
    - भूमि संरक्षण अधिकारी तालाबों के जीर्णोद्धार कार्य अग्रिम निर्देशों तक कार्यालय के पत्रांक 349/एस.एल.डी.सी./2015–16 दिनांक 25.05.2015 द्वारा प्रतिबन्धित किया गया था इस सम्बन्ध में

निर्देश दिये गये कि जिन तालाबों का जीर्णोद्धार डी.पी.आर. के अनुसार किया जाना है उसकी सूचना जी.पी.एस. कैमरे से फोटोग्राफ सहित एस.एल.एन.ए को दी जाय, तत्पश्चात् प्रीस्ट्रक्चर मिजरमेन्ट, डिजाइन एवं स्टीमेट ग्रीड बेसिस पर तैयार करते हुए वाटरशेड समिति एवं डब्ल्यू.सी.डी.सी. से अनुमोदित कराया जाय फिर जीर्णोद्धार का कार्य सम्पन्न कराया जाय तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित किया जाय। इस सम्बन्ध में एस.एल.एन.ए. द्वारा पृथक से निर्देश निर्गत किये जायेगें।

- ❖ समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी/परियोजना प्रबन्धक को निर्देश दिया गया था कि एस0एल0एन0ए0 से प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत कौशल विकास मिशन से कन्वर्जेन्स के माध्यम से कराये जाने वाले लाभग्राही वर्गो का चयन तथा उत्पादन प्रणाली एवं सूक्ष्म उद्यम के अन्तर्गत लाभग्राही वर्गो का चयन कर सूची एस0एल0डी0सी0 कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे परन्तु अभी मात्र दो जनपदों से सूची प्राप्त हुई है इस पर एक सप्ताह के अन्दर लाभग्राही वर्गो की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।
- ❖ डी0पी0आर0 तैयार करने तथा विविध स्तर से विभिन्न लाभग्राही वर्गो के प्रशिक्षण हेतु चिन्हित संस्थाओं से एस0एल0एन0ए0 द्वारा अनुमोदित दरों के आधार पर कार्य सम्पादन के निर्देश दिये गये।
- ❖ मानिटरिंग इवैल्यूएशन लर्निंग एण्ड डाकुमेण्टेशन (एम0ई0एल0 एण्ड डी0) हेतु थर्ड पार्टी संस्था आई0आर0जी0 का चयन किया गया है जो जनपद में सम्पर्क कर योजनान्तर्गत निर्धारित कार्यो का सम्पादन करेंगे। मुख्य विकास अधिकारी इनके कार्यो का भी अपने स्तर पर समीक्षा करेंगे।

- प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने यह निर्देश दिये कि मुख्य विकास अधिकारी समीक्षा टिप्पणी से जिलाधिकारी को लिखित रूप से अवगत करायें।
  - ❖ प्रमुख सचिव द्वारा यह निर्देश दिया गया कि आई0डब्लू0एम0पी0 के कार्यक्रमों में गति लाने के उद्देश्य से एस0एल0एन0ए0 स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन कराया जाये ताकि कार्यक्रम के बारे में समस्त अधिकारियों को विधिवत जानकारी उपलब्ध हो सके।
  - ❖ प्रमुख सचिव द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निश्चित अन्तराल में समीक्षा करते रहने की अपेक्षा की गई।

(आञ्जनेय कुमार सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पत्रांक 501 /एस.एल.डी.सी./2015–16 दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव– II, सिचांई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अध्यक्ष एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन परियोजना, गोखलेमार्ग, लखनऊ।
4. अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, पाण्डुनगर, कानपुर।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 (शामली, गाजीयाबाद, गौतमबुद्धनगर)।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0 (शामली, गाजीयाबाद, गौतमबुद्धनगर)।
7. उपस्थित समस्त उप निदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी, सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
8. समस्त तकनीकी विशेषज्ञ/प्रशासनिक अधिकारी, स्टेट लेविल डाटा सेन्टर, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

(आञ्जनेय कुमार सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संलग्नक–1

क्र. सं.	जनपद का नाम	प्रस्तुत कार्ययोजना	स्वीकृत कार्ययोजना
1	मिर्जापुर	30663 पौधों की कार्ययोजना प्रस्तुत है।	
2	संतरविदास नगर	7405 पौधों की कार्ययोजना प्रस्तुत है।	
3	सोनभद्र	5276 पौधों की कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी है।	
4	आजमगढ़	19900 पौधों की कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी है।	
5	मऊ	कार्ययोजना तैयार नही की गयी है।	
6	बलिया	कार्ययोजना तैयार नही की गयी है।	
7	मुरादाबाद	एक परियोजना क्रियान्वित है जिसमें बजट उपलब्ध नही है।	
8	रामपुर	19975 पौधों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।	
9	बिजनौर	10494 पौधों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।	
10	गोरखपुर	60679 पौधों की कार्ययोजना तैयार की गयी है।	
11	महाराजगंज	29498 पौधों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।	5045 पौधों की योजना स्वीकृति।
12	देवरिया	8000 पौधों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	
13	कुशीनगर	कोई प्रस्ताव तैयार नही हुआ है।	
14	बहराइच	मात्र 440 पौधों की कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी है।	
15	बलरामपुर	209 पौधों की कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी।	
16	श्रावस्ती	1320 पौधों की कार्ययोजना तैयार की गयी है	
17	गोण्डा	9204 पौधों की कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी।	
18	इलाहाबाद	10500 पौधों की कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी।	10500 पौधों की कार्ययोजना स्वीकृत।
19	फतेहपुर	16014 पौधों की कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी।	16014 पौधों की कार्ययोजना स्वीकृत।
20	कौशाम्बी	8557 पौधों की कार्ययोजना प्रस्तावित है।	
21	प्रतापगढ़	4450 पौधों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।	
22	हमीरपुर	4480 पौधों की कार्ययोजना तैयार की गयी है	
23	महोबा	प्रस्तुत प्रस्ताव मानक के अनुरूप फॉरमेट नही होने के कारण वापस किया गया है।	
24	झांसी	65400 पौधों का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।	
25	ललितपुर	40 हे0 में 20000 पौधों की कार्ययोजना प्रस्तावित है।	
26	जालौन	32 हे0 क्षेत्रफल में 17000 पौधों का प्रस्ताव प्रस्तुत है जो मानक के अनुरूप नही है।	
27	बॉदा	241 पौधों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	
28	चित्रकूट	1295 पौधों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	
29	फैजाबाद	3125 पौधों की कार्ययोजना प्रस्तावित है।	
30	अम्बेडकर नगर	3554 पौधों की कार्ययोजना तैयार की गयी है।	
31	सुल्तानपुर	कोई प्रस्ताव तैयार नही हुआ है।	
32	बाराबंकी	8609 पौधों की कार्ययोजना तैयार की गयी है।	
33	अमेठी	5895 पौधों की कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत की गयी है।	
34	लखनऊ	7500 पौधों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।	

35	सीतापुर	मात्र 2200 पौधों की कार्ययेाजना प्रस्तुत की गयी।	
36	उन्नाव	893 पौधों की कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी है।	
37	हरदोइ	312 पौधों की कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी है।	
38	रायबरेली	कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत नही किया गया है।	
39	ल0 खीरी	1200 पौधों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	
40	बुलन्दशहर	29195 पौधों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	
41	बागपत	2542 पौधों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	1318 पौधों की कार्ययोजना स्वीकृति।
42	मेरठ	20000 पौधों की कार्ययोजना प्रस्तुत की जा रही है।	
43	जे.पी. नगर	5035 पौधों का प्रस्ताव विगत दिवस में प्रस्तुत किया गया।	
44	मैनपुरी		34177 पौधों हेतु रू0 4.15 लाख की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
45	आगरा	30084 पौधों की कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी।	19000 पौधों की स्वीकृति प्राप्त।
46	मथुरा	46778 पौधों की कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी।	4126 पौधों की स्वीकृति प्राप्त।
47	फिरोजाबाद	1587 पौधों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	
48	इटावा	भूमि संरक्षण अधिकारी (जो मैनपुरी में थे) ने बताया कि वन विभाग की जमीन होने के कारण सहमत न मिलने से प्रस्ताव प्रस्तुत नही हो सका है।	
49	औरैया	5016 पौधों की कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी।	
50	कन्नौज	प्रस्ताव प्रस्तुत नही किया गया है।	
51	कानपुर नगर	43467 पौधों रू0 35.00 लाख का अपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत	
52	कानपुर देहात	प्रस्ताव प्रस्तुत नही किया गया है।	
53	फरूर्खाबाद	40971 पौधों की कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी है।	
54	अलीगढ़	14660 पौधों का 23 हे0 क्षेत्रफल का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जो केवल प्राइवेट लैण्ड पर है।	
55	हाथरस	9031 पौधों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	
56	एटा	24141 पौधों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	
57	सहारनपुर	2000 पौधों की कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी है।	
58	मुजफ्फरनगर	2352 पौधों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	
59	हापुड़	प्रस्ताव प्रस्तुत नही किया गया है।	
60	बरेली	968 पौधों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	
61	शाहजहॉपुर	12851 पौधों की कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी है।	
62	पीलीभीत	1409 पौधों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	
63	सम्भल	13330 पौधों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	
64	वाराणसी	215 पौधों की कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी है।	
65	गाजीपुर	50040 पौधों की कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी है।	
66	जौनपुर	514 पौधों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	
67	चन्दौली	50440 पौधों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	
68	बस्ती	1838 पौधों की कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी है।	
69	सिद्धार्थनगर	2650 पौधों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	
	संतकबीर नगर	688 पौधों की कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी है।	